

उत्तर प्रदेश के पाँच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिये ग्रीन क्षेत्र आरक्षणि

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (आवास) नितिन रमेश गोकरण ने बताया कि प्रदेश के पाँच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर, आर्थिक ज़ोन, उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र आरक्षणि होंगे।

प्रमुख बातें

- इन आरक्षणि क्षेत्रों के लिये कॉन्प्रहिंसिवि मोबिलिटी प्लान में ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था की जाएगी, बाज़ार व कॉलोनियों में सड़कों की चौड़ाई तय की जाएगी।
- आर्थिक ज़ोन में लघु उद्योग व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ही कारपोरेट सेक्टर के ऑफसिस के लिये स्थान आरक्षणि होंगे। ग्रीन इनफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही ट्रांजिड ओरिटेड डेवलपमेंट के लिये ये सुविधाएँ दी जाएंगी।
- संबंधित विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान में इन स्थानों को चिह्नित करते हुए आरक्षणि करेगी। केंद्र सरकार इन शहरों को सुविधाएँ विकसित करने के लिये अलग से 50-50 करोड़ रुपए देगी।
- अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकरण ने बताया कि भौजूदा मास्टर प्लान में इन सुविधाओं को शामिल करते हुए स्थान आरक्षणि किया जाएगा और इन चार में तीन सुविधाएँ देनी होंगी。
 - एक लाख की आबादी पर 40 बसों की सुविधा।
 - मल्टीस्टोरी पार्किंग के साथ ही ईवी चार्जिंग की सुविधा।
 - घनी आबादी और पुराने क्षेत्रों के ट्रांसपोर्ट प्लान।
 - आर्थिक ज़ोन में फूड स्ट्रीट का स्थान आरक्षणि होगा।
- केंद्र सरकार ने इन सुविधाओं में से तीन की अनिवार्यता की है। इसके आधार पर ही मास्टर प्लान में इन सुविधाओं के लिये स्थान आरक्षणि किया जाना है।
- उत्तर प्रदेश के पहले 19 शहरों में ये सुविधाएँ दी जाएंगी, जिनकी आबादी पाँच लाख से अधिक है, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, झाँसी, फरीजाबाद-शकिहाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मथुरा-वृद्धावन, हापुड़-पलिखुआ और शाहजहाँपुर शामिल हैं।



II

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/green-area-reserved-for-commercial-activities-in-cities-with-population-of-more-than-live-lakhs-in-uttar-pradesh>

